

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-7 /2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री रणधीर सिंह सोलंकी, वरिष्ठ सहायक, भरतपुर।	05.07.1990	27 वर्ष	05.07.2017	9300-34800	4200
2.	श्री शान्ति लाल जावा, कनिष्ठ सहायक, हनुमानगढ़	16.11.1989	27 वर्ष	16.11.2016	9300-34800	4200
3.	श्री प्रकाश चन्द भाटी, कनिष्ठ सहायक, बाड़मेर।	15.12.1999	18 वर्ष	15.12.2017	9300-34800	3600
4.	श्री विनोद सिंह, कनिष्ठ सहायक, बाड़मेर।	02.12.1999	18 वर्ष	02.12.2017	9300-34800	3600
5.	श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, हनुमानगढ़।	29.11.1999	18 वर्ष	29.11.2017	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

312  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-7 /2018/167

दिनांक : 07/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/हनुमानगढ़/बाड़मेर।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा, बाड़मेर/हनुमानगढ़।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर